No. CDN-27011/2/2020-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 14.07.2020

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of April , 2020 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23381349

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
4. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF APRIL, 2020:

(1) Notifications:-

(i) Vide notification dated 29th April, 2020, the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 have been amended to extend the period within which existing Independent directors may apply(online) for inclusion of their names in the databank for Independent Directors by another two months (i.e. upto30th June, 2020]. **[G.S.R 268(E)]**

(2) CIRCULARS:-

(i) Through the General Circular no. 14/2020 dated 08.4.2020 and General Circular no. 17/2020 dated 13.4.2020, the Ministry has issued clarifications with respect to passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act,2013 and rules made there under on account of the threat posed by Covid-19. The two circulars allow the holding of Extraordinary General Meetings (EGMs) through Video Conferencing (VC) and Other Audio Visual Means (OAVM) and also clarify the manner of issue of notices and procedure of voting in such EGMs.

(ii) Through the General Circular no. 18/2020 dated 21.4.2020, the Ministry has allowed the companies whose financial year has ended on 31st December, 2019 to hold their Annual General Meeting for such financial year within a period of nine months from the closure of the financial year (i.e, by 30th September, 2020).

(iii) Through the General Circular no. 19/2020 dated 30.4.2020, the Ministry has extended, by sixty more days, the time limit for filing of Form NFRA-2 (Annual Return to be filed by auditor with NFRA) for the reporting period financial year 2018-19.

(3) AMENDMENT TO THE COMPANIES ACT, 2013:-The Ministry is taking necessary action for amending the Companies Act, 2013 [CA-13] to implement the recommendations made by Company Law Committee (2019) to remove criminalization in 46 penal provision of the CA-13 as well as to facilitate ease of living to law abiding corporates. Approval of the Cabinet for such amendments in the CA-13 through Companies (Amendment) Bill, 2020 was obtained on 4th March, 2020. The said Bill was introduced in the Lok Sabha on 17th March, 2020. The Bill came up for discussion on 23rd March, 2020 but could not be considered and the House got adjourned sine die. The Bill is pending in the Lok Sabha. A copy of the Bill is available on the website of Lok Sabha and M/o Corporate Affairs. The Ministry is considering, subject to due approvals, promulgation of an Ordinance (Companies (Amendment) Ordinance, 2020) for implementing the amendments proposed through the Companies (Amendment) Bill, 2020. A Note in this regard has been forwarded to the Cabinet Secretariat on 27th April, 2020 for obtaining approval of the Cabinet.

(4) A total of 155 cases under Section 19 and 161 cases under Section 6 are pending for disposal at the end of the month of April, 2020. The Commission received four (04) notices (including one through Green Channel) u/s 6 (2) of the Act pertaining to combinations during April, 2020 and thirteen (13) notices were carried forward from previous month.

(5) In the wake of outbreak of COVID-19, CCI has announced a framework for lifting suspension of filings by enabling the parties to file anti-trust cases electronically and further

to have pre-filing consultations for merger notifications through video conferencing from anywhere.

(6) Amidst the major health emergency due to Covid-19 pandemic, CCI, while placing emphasis on Section 19(3) of the Competition Act, has given green light for rivals in key sectors such as healthcare products and other essential commodities and services to coordinate without the fear of any adverse action.

(7) CCI ordered investigation u/s 26(1) of the Competition Act on allegations made by Reliance Industries (RIL) against the state-owned oil firms IOC, BPCL and HPCL indulging in cartelisation in the market of aviation turbine fuel (ATF). The proceeding in the matter has been stayed by the Delhi High Court.

(8) The Competition Commission of India (CCI) approved the deal announced last year involving the transfer of RIL's petroleum retail business and certain aviation assets at airports to a new company called Reliance BP Mobility Ltd. (RBPML), in which BP Global will invest 49%.

सं. सीडीएन-27011/2/2020-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
तारीखः14.07.2020

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अप्रैल, 2020 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(हेमंत वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23381349

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
3. अपर सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
4. निदेशक (एनआईसी) -पत्र को एमसीए की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

माह अप्रैल, 2020 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और बड़ी उपलब्धियां

(1) अधिसूचनाएः-

(i) 29 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 को उतनी अवधि बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है जिसके दौरान मौजूदा स्वतंत्र निदेशक अगले दो माह (अर्थात् 30 जून, 2020 तक) के लिए स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में अपने नाम शामिल करने के लिए आवेदन (ऑनलाइन) कर सकें। [सा.का.नि 268(अ)]

(2) परिपत्र में:-

(i) दिनांक 08.4.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और दिनांक13.04.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 के माध्यम से मंत्रालय ने कोविड-19 के खतरे के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों कंपनियों द्वारा सामान्य और विशेष संकल्प पारित करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए हैं। इन दोनों परिपत्रों में से वीडियो कोनफ्रेसिंग (वीसी) और अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी गई है और साथ ही ऐसी असाधारण सामान्य बैठकों में नोटिस जारी करने और मतदान करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।

(ii) दिनांक 21.04.2020 के परिपत्र संख्या 18/2020 द्वारा मंत्रालय ने उन कंपनियों जिनका 31 दिसंबर, 2019 को वित्तीय वर्ष समाप्त होने (अर्थात् 30 सितंबर, 2020 तक) से नौ माह की अवधि के भीतर उस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है।

(iii) दिनांक 30.04.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 19/2020 द्वारा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की आलोच्य अवधि के लिए एनएफआरए-2 (लेखापरीक्षा द्वारा एनएफआर के समक्ष फाइल की जाने वाली वार्षिक विवरणी) को भरने की अवधि और छह दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधनः- मंत्रालय सीए-13 के 46 दांडिक प्रावधानों में अपराधीकरण को समाप्त करने तथा कानून का पालन करने वाले कारपोरेटों को सुविधाएं देने के लिए कंपनी विधि समिति (2019) द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। कंपनी अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020 के माध्यम से सीए-13 में ऐसे संशोधनों के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन 04 मार्च, 2020 को प्राप्त किया गया था। उक्त विधेयक 17 मार्च, 2020 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। 23 मार्च, 2020 को विधेयक विचार विमर्श हेतु लिया गया था परंतु इस पर विचार नहीं किया जा सका और अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित हो गया। विधेयक

लोक सभा में लंबित है। इस विधेयक की प्रति लोक सभा और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मंत्रालय, अनुमोदनों के अधीन कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों को कार्यान्वित करने के लिए एक अध्यादेश (कंपनी संशोधन), अध्यादेश के प्रख्यापन पर विचार कर रहा है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 27 अप्रैल, 2020 को इस संबंध में एक नोट मंत्रिमंडल सचिवालय को अग्रेषित किया गया है।

(4) अप्रैल, 2020 के अंत तक धारा 19 के अंतर्गत कुल 155 मामले और धारा 6 के अंतर्गत 161 मामले निपटान के लिए लंबित हैं। मंत्रालय को अप्रैल, 2020 के दौरान संयोजन से संबंधित अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत चार(04) नोटिस (इनमें से एक ग्रीन चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ था) प्राप्त हुए तथा तेरह (13) नोटिस पूर्व माह से अग्रेषित थे।

(5) कोविड-19 नामक महामारी के प्रसार को देखते हुए सीसीआई ने पक्षों को इलेक्ट्रानिक रूप से न्यास-रोधी मामले फाइल करने के लिए समर्थ बनाकर और कहीं से भी वीडियो कॉनफ्रेसिंग के माध्यम से अधिसूचनाओं के संयोजन के लिए फाइल करने से पूर्व विचार विमर्श हेतु फाइलिंग के निलंबन को उठाने के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की है

(6) कोविड-19 की महामारी के कारण स्वास्थ्य संबंधी बड़ी आपात स्थिति के बीच सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 19(3) पर बल देते हुए महत्वपूर्ण सेक्टरों जैसे स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के प्रतिस्पर्धियों के लिए नियमों को सरल बनाया है ताकि किसी प्रतिकूल कार्रवाई के बिना समन्वय किया जा सके।

(7) सीसीआई ने उड़डयन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के बाजार में कार्टेलाइजेशन सहित सरकारी नियंत्रण वाली तेल फर्मों आईओसी, बीपीसीएल और एचसीएल के विरूद्ध रिलायंस उद्योग (आरआईएल) द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 26(1) के अंतर्गत जांच के आदेश दिए। इस मामले में कार्यवाही पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।

(8) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गत वर्ष घोषित सौदे, जिसमें आरआईएल के पेट्रोलियम के खुदरा व्यापार और हवाई अड्डों पर कुछ उड़डयन परिसंपत्तियों को रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड (आरबीपीएमएल) को स्थानांतरित करना शामिल था, को अनुमोदित किया जिसमें बीपी ग्लोबल 49% निवेश करेगा।